राज भवन, भोपाल
RAJ BHAVAN, BHOPAL

NOTICE INVITING APPICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR MAHARAJA CHHATRASAL BUNDELKHAND UNIVERSITY, CHHATARPUR (M.P.)

Advt. No. F 1-7/18/G.S./U.A.1/ 39 Dated 8 January, 2019

It is proposed to appoint a Vice-Chancellor for the Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University Chhatarpur, established under the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), out of a panel to be recommended by a Committee, appointed in terms of section 13(2) of said Act.

The vice-chancellor shall hold office for a term of 04 years from the date on which he enters office.

As the Vice Chancellor is the Principal and Academic Officer of the University, he should have highest level of competence, integrity, morals and institutional committment. He should also be a distinguished academician with a minimum of ten years of experience as Professor in a University system or ten years of experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic, administrative organization.

In support of his unblemished career and undoubted integrity, the applicant should file a self attested certificate to the effect that no enquiry is instituted/ commenced/pending in Lokayukt Sangathan, Economic Offence Bureau or any other organization against him at any level.

Along with the application, in case the applicant is in service, he should file a certificate of his employer / head of the office to the effect that no departmental enquiry is pending against him.

In case of any enquiry conducted as above in earlier years, details of such cases and final conclusion of the enquiry shall have also to be clearly mentioned by the applicant in the self attested certificate.

The aspirant for the post of Vice-Chancellor may send his application, alongwith bio-data (in two copies) and certificate, in the prescribed format available on the website "governor.mp.gov.in" to the Secretary, Governor Secretariat, Rajbhavan, Bhopal- 462003 (M.P.) on or before 12th February, 2019 by registered/Speed post. "Application for the post of Vice-Chancellor, Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University Chhatarpur (M.P.)" should be super-scribed on the envelope.

Application received after the prescribed date shall not be considered. This office shall not be responsible for postal delay.

Secretary to Governor
Madhya Pradesh

राज भवन, भोपाल
RAJ BHAVAN, BHOPAL

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म. प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए सूचना

वि.क्र. एफ-1-7/18/रा.स./यू.ए.1/39 दिनांक 8 जनवरी, 2019

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर, जो कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) के अंतर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नियुक्त समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपतिजी के द्वारा की जाना प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 04 वर्ष होगा ।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासी तथा विद्या विषयक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की सक्षमता, सत्यनिष्ठा एवं संस्थान के प्रति वचनबद्धता का आचरण होना चाहिए । अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ ही विश्वविद्यालय सिस्टम में दस वर्ष का प्रोफेसर पद का अनुभव अथवा दस वर्ष का किसी प्रतिष्ठित समकक्ष अनुसंधान एवं / अथवा अकादमिक, प्रशासनिक संस्थान में कार्य का अनुभव होना चाहिये ।

अभ्यर्थी को अपने बेदाग केरियर व असंदिग्ध निष्ठा के समर्थन में आवेदन पत्र के साथ स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध ब्यूरो या अन्य किसी संस्थान में किसी भी स्तर पर कोई जांच अथवा आपराधिक प्रकरण संस्थित/प्रचलित/लंबित नहीं है।

वर्तमान में सेवारत होने की स्थिति में अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ अपने नियोक्ता/ कार्यालय प्रमुख का इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है।

यदि पूर्व वर्षों में उपरोक्तानुसार कोई जांच की गई है तो ऐसे जांच प्रकरणों का विवरण एवं निष्कर्ष का भी स्पष्ट उल्लेख अभ्यर्थी को स्व-सत्यापित प्रमाण पत्र में करना होगा ।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी उनका आवेदन तथा विस्तृत जीवनवृत्त (2 प्रतियों में) उपरोक्त विवरण व प्रमाण-पत्र के साथ राज भवन की बेबसाइट "governor.mp.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल - 462003 (म.प्र.) को दिनांक 12 फरवरी, 2019 तक पंजीकृत/ स्पीड पोस्ट डाक से प्रस्तुत करें । लिफाफे पर स्पष्ट लिखा जावे कि "महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) के कुलपति पद के लिये आवेदन" ।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा । डाक में विलम्ब हेतु यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।

राज्यपाल के सचिव
मध्यप्रदेश

———